

(07)

आदेश क्रमक

मापी अमिलेख सं० ५७ / १३-१५

आवेक - नीलम सिंह
 पिता/पति - प्रियवत सिंह
 साक्षि - भूमी
 जिला - धनबाद



दिनांक	आदेश	उपस्थिति
29.3.14	<p>आवेक नीलम सिंह पति - प्रियवत सिंह साक्षि भूमी (धनबाद) जिला - धनबाद के द्वारा मौजा - धारजारी भागानं 225 खतानं पा प्लॉट नं 2603, 2604, 2602, रकवा 15 कछा भूमि मापी कले हेतु अनुसंधान जमा है। उक्त आवेक पत्र पर एका कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन जमा निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित जिला जमा है। डि- आवेकित भूमि मौजा - धारजारी मौजा नं 225 खतानं पा प्लॉट नं 2602, 2603 एवं 2604 रकवा 15 कछा गत सवर्ष स्वतंत्रता के अनुसार गैर आबाद खताने की भूमि नहीं है। एका में उपस्थित पेजी II के ज. सं 225 में खतानं पा प्लॉट नं 2602, रकवा 06 कछा प्रियवत सिंह की पिता स्व. महादेव प्रसाद सिंह के नाम से दर्ज है तथा सजान रजिस्ट्रार वित्तिय वर्ष 2013-14 तक सजान रजिस्ट्रार द्वारा जो केवाला दलील सं 5619 बिगोर 26.6.92 के द्वारा सीमती सुशीला देवी पति - श्री महादेव प्रसाद सिंह के नाम से कृप भूमि के अन्तर्गत है। जमावटी सं 459 में खतानं पा प्लॉट नं 2603, 2604, रकवा 08 (छाठ) कछा सीमती नीलम सिंह पति - श्री प्रियवत सिंह के नाम से दर्ज है जो केवाला दलील सं 5618 बिगोर 26.6.92 के द्वारा कृप भूमि के अन्तर्गत है। तथा वित्तिय वर्ष 2013-14 का सजान रजिस्ट्रार ज. सं 459 में एका कर्मचारी एवं ज. सं 460 के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेक ले एका रजि का मापी मुक्त जमा करने के पश्चात जिला जमीन को प्रतिमिपुक्त करें। एका ही मापी के सजान चौहद्दीदा को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी करें।</p>	

अमिलेखी
 बाधमाप

अभिनेख उपस्थापित किया गया। अंयम अमीन ने प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा - धारजौरी मौजा नं 225 खाता नं पा प्जाट नं 2603 एवं 2604 रकवा 13.20 डी - भूमि का मापी हेतु दिनांक 16.5.18 को किया। मापी के समय स्थान पर आवेदिका के पति श्री प्रियव्रत सिंह, मनमोहन सिंह उमेश राजभट्ट विवचरण महतो सामपति पंडित, सिद्धिक एवं प्राईवेट अमीन अशोक महतो के आवावे अन्य श्रावण उपालत थे। मापी के क्रम में पाया गया है कि आवेदक श्रीमती नीलम सिंह के नाम से दानी सं 5618 दिनांक 26.6.92 में दर्ज खाता नं पा प्जाट नं 2603 रकवा 02 कट्टा एवं प्जाट नं 2604 रकवा 06 कट्टा कुल रकवा 08 कट्टा 13.20 डी जो नया सर्वे में खाता नं 138 प्जाट नं 2389 में अंश रकवा है जो सरती है। जिसको मैंने मापी कर सभी पक्षों के सामने पत्थर डारवा दिया। मापी के समय कोई विवाद नही हुआ है।

अतः इस अभिनेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंयम अधिकारी
बोधमारी

अभिनेख
अमीन